न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
23 / अपील / 2019	29.01.2019	26.07.2019

प्रभू आ. कवंरा जाति कुम्हार निवासी ग्राम हरणा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

– अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26.11.2014
तहसीलदार, हिण्डोली
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

अपीलांट की ओर से – श्री शम्भू दयाल शर्मा, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय प्रति दिनांक 12.07.2018 के साथ इस निर्देश के साथ प्रेषित की गई है कि अपीलान्ट के नियमन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुये पक्षकारान की सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अपील राजस्व अपील अधिकारी, कोटा से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट व रेस्पोडेंट को तलब किया गया।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तथा लिखित बहस पेश कर तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को तलब किया गया। अपीलान्ट ने आरोपित राशि भी जमा करा दी है। अपीलान्ट का कोई नया अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट एक गरीब काश्तकार है। जिसका आबादी भूमि में कोई आवासीय मकान नहीं है। उक्त विवादित भूमि पर

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

ही पक्का मकान एवं बाडा बनाकर लगभग 30–40 वर्षो से मय परिवार निवास कर रहा है तथा मकान के पास ही 03 बीघा भूमि पर फसल पैदा करके अपने परिवार का गुजर–बसर कर रहा है। उक्त विवादित भूमि से अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती प्रमाणित नहीं होता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल सजा के आदेश से दण्डित किया गया है। जो न्यायसंगत एवं उचित नहीं है। जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट के परिवार के समक्ष भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और रहने के लिये कोई मकान नहीं रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पहले कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी नहीं लिये है। मात्र पटवारी की रिपोर्ट व बयानो के आधार पर आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का अपीलान्ट से रंजिश रखता है। अपीलान्ट द्वारा पटवारी की शिकायत की गई थी। उस शिकायत का बदला लेने के लिये अधीनस्थ न्यायालय से मिलकर अपीलान्ट के विरूद्व यह आदेश सजा का पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बेदखली की बजाय अतिक्रमित भूमि को नियमन करने की अनुशंषा करनी चाहिये थी। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस के साथ राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांक 9(6)राजस्व–6/2000/1 दिनांक 11.01.2008, परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प–6(7)राज.4/77 दिनांक 10.01.2013 की प्रति पेश कर निवेदन किया कि सिवायचक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नियमन करने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त परिपत्र में अतिक्रमी को नियमन की तिथि दिनांक 01.01.2000 की अवधि के स्थान पर दिनांक 01.01.2015 कर दिया गया है। इस परिपत्र के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विवादित भूमि को नियमन करना चाहिये था। अपीलान्ट ने बहस के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत रोंशन्दा का प्रमाण पत्र अपीलान्ट का अतिक्रमण 40 वर्ष पुराना होने बाबत् पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये अतिक्रमित भूमि आवासीय एवं बाडा को नियमन करने हेतु आदेश फरमावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर मकान बाडा व फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अपील में निवेदन किया है कि भूमि को नियमन फरमाया जावे लेकिन अपीलान्ट ने 40 वर्ष पुराना कब्जा होने बाबत् कोई राजस्व रेकार्ड की नकले आदि कोई पेश नहीं की है। जिससे अपीलान्ट का पुराना कब्जा साबित नहीं होता है। अपीलान्ट को हर वर्ष मौके पर से बेदखल किया जा रहा है फिर भी अपीलान्ट बार–बार अतिक्रमण करता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड रिपोर्ट पटवारी

के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक बर्डा की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर फसल, मकान बाडा बनाकर सम्वत् 2071 फसल खरीफ में अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ है। पैनाल्टी भी जमा करवाई है। एवं अपीलान्ट ने अतिक्रमण करना स्वीकार कर अतिक्रमित भूमि को नियमन करने हेतु निवेदन किया है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि पर वर्षो पुराना कब्जा होना बताया है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मात्र धारा 91 का नोटिस सम्वत् 2056–57 व खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2055–2060 की प्रतिलिपियां पेश की गई है। इसलिये अपीलान्ट का लगातार पुराना कब्जा होना साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अतिक्रमित भूमि अपीलान्ट को नियमन की श्रेणी में नहीं आती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी मिसल नं. 1162 दिनांक 12.12.2013 से बेदखल किया गया था। इससे यह भी साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा अतिक्रमित भूमि से कब्जा नहीं छोडना चाहता। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, ~~R.A.S.~~)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)